क्या भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होनी चाहिए?

UPSC प्रासंगिकता GS II: कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, संस्थागत स्वतंत्रता **GS IV:** नैतिक शासन, नैतिक जोखिम (Moral Hazard), जवाबदेही

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A** की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय (Split Verdict) सुनाया है। यह धारा किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों की जांच शुरू करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाती है। अब इस मामले को एक बड़ी पीठ (Larger Bench) को भेज दिया गया है, जिससे सार्वजनिक प्रशासन में 'जवाबदेही बनाम सुरक्षा' पर एक महत्वपूर्ण बहस फिर से शुरू हो गई है।

पृष्ठभूमि: भ्रष्टाचार विरोधी कानून का विकास

भारत का भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा न्यायिक हस्तक्षेपों और विधायी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से विकसित हुआ है। **संथानम समिति (1962-64)** की सिफारिशों के बाद, लोक सेवकों द्वारा रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को रोकने वाले कानूनों को समेकित करने के लिए **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988** लागू किया गया था।

पारंपरिक रूप से, PCA की धारा 19 के तहत केवल अभियोजन (Prosecution) के स्तर पर पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती थी, जिससे जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से पूछताछ करने की छूट मिलती थी। हालांकि, यह चिंता जताई गई कि ईमानदार नीतिगत निर्णयों को भी बाद में अपराधी घोषित किया जा सकता है, जिससे नौकरशाही में निर्णय लेने में हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। इसे संबोधित करने के लिए, संसद ने **2018 में धारा 17A** को शामिल किया, जिससे पूर्व अनुमति की आवश्यकता को 'जांच के स्तर' तक बढ़ा दिया गया।

धारा 17A क्या अनिवार्य बनाती है?

धारा 17A किसी लोक सेवक द्वारा आधिकारिक क्षमता में की गई सिफारिशों या लिए गए निर्णयों से संबंधित कथित अपराध की किसी भी पूछताछ या जांच पर तब तक रोक लगाती है, जब तक कि संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न हो जाए।

विधायी उद्देश्य:

- ईमानदार अधिकारियों को तुच्छ और द्वेषपूर्ण शिकायतों से बचाना।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में आने वाले गतिरोध को रोकना।
- निडर और समय पर प्रशासनिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

हालांकि, इस प्रावधान ने जांच पर कार्यकारी नियंत्रण (Executive Control) को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

IAS-PCS Institute

पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय: एक स्पष्ट न्यायिक रुझान

धारा 17A को दी गई संवैधानिक चुनौती को सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों से बल मिलता है:

1. **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998):** न्यायालय ने उस "एकल निर्देश" (Single Directive) को रद्द कर दिया था जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की जांच से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी। कोर्ट ने माना कि कार्यकारी हस्तक्षेप स्वतंत्र जांच को कमजोर करता है।
2. **डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, CBI (2014):** DSPE अधिनियम की धारा 6A, जो संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की जांच के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करती थी, को **अनुच्छेद** 14 का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार को पद के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

Result Mitra रिजल्ट का साथी
sultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

इन फैसलों ने दृढ़ता से स्थापित किया कि लोक सेवकों के किसी विशेष वर्ग को जांच से अलग नहीं रखा जा सकता।

वर्तमान विभाजित निर्णय: दो प्रतिस्पर्धी संवैधानिक दृष्टिकोण

न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन का मत न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूर्व अनुमति की आवश्यकता का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस सुरक्षा के बिना, नौकरशाही "सुरक्षित खेल" (Play-it-safe syndrome) की शिकार हो सकती है, जिससे साहसिक शासन हतोत्साहित होगा। हालांकि, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी:

- अनुमति एक स्वतंत्र संस्थान से मिलनी चाहिए, न कि स्वयं कार्यपालिका से।

- उन्होंने धारा 17A को **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के साथ समन्वित किया और कहा कि अनुमति लोकपाल/लोकायुक्त की बाध्यकारी राय पर आधारित होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना का मत न्यायमूर्ति नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक बताते हुए इसे "पुरानी शराब नई बोतल में" करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि:

- यह प्रावधान अनुच्छेद 14 की 'सुबोध अंतर' (Intelligible Differentia) और 'तार्किक संबंध' की कसौटी पर विफल है।
- धारा 19 के तहत पहले से ही पर्याप्त सुरक्षा मौजूद है, जो अभियोजन स्तर पर ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करती है।
- जांच के स्तर तक सुरक्षा का विस्तार कानून के शासन को कमजोर करता है।

शामिल मुख्य मुद्दे

- **कानून के समक्ष समानता बनाम प्रशासनिक सुरक्षा:** पूर्व अनुमति देना नागरिकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार पैदा करता है, जिससे अनुच्छेद 14 कमजोर होता है।
- **जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता:** कार्यपालिका द्वारा अनुमति देने की प्रक्रिया जांच में देरी कर सकती है या उसे रोक सकती है, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में।
- **नैतिक शासन की दुविधा:** अत्यधिक सुरक्षा से 'नैतिक जोखिम' (Moral Hazard) बढ़ता है, जबकि सुरक्षा के अभाव में ईमानदारी से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह: धारा 17A से परे प्रणालीगत सुधार

अंतिम निर्णय जो भी हो, गहरे सुधारों की आवश्यकता है:

1. **त्वरित जांच और सुनवाई:** भ्रष्टाचार के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया।
2. **स्वतंत्र संस्थानों को मजबूत करना:** लोकपाल और लोकायुक्तों को परिचालन स्वायत्तता प्रदान करना।
3. **झूठी और द्वेषपूर्ण शिकायतों को दंडित करना:** ईमानदार अधिकारियों की रक्षा के लिए गलत आरोप लगाने वालों पर वैधानिक दंड।

IAS-PCS Ins
Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

4. **नीतिगत त्रुटियों और भ्रष्टाचार के बीच स्पष्ट अंतर:** खराब निर्णयों और बेईमानीपूर्ण मंशा के बीच अंतर करने के लिए विधायी दिशा-निर्देश।

निष्कर्ष

धारा 17A पर बहस 'निडर शासन' और 'समझौताहीन जवाबदेही' के बीच एक गहरे संवैधानिक तनाव को दर्शाती है। जहां ईमानदार अधिकारी सुरक्षा के पात्र हैं, वहीं भ्रष्टाचार सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक नैतिकता पर प्रहार करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास अब एक सूक्ष्म संतुलन बनाने का अवसर है—जो कानून के शासन को कमजोर किए बिना ईमानदारी की रक्षा करे।

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

जीएस पेपर II - राजव्यवस्था और शासन प्रश्न: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A ईमानदार लोक सेवकों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के आलोक में धारा 17A की संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806